संख्या-15 /2019/2468/46-2-19-83/2016

प्रेषक,

पवन कुमार गंगवार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 29 नवम्बर, 2019**

विषय:- चीनी उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत देय छूट/ रियायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू.25.00 करोड़ में से प्रथम किश्त के रूप में रू.6,83,48,857.00 अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक अपने पत्र संख्या-190/शोध एवं समन्वय /नीति-2013 दिनांक 20.02.2019, जिसके माध्यम से चीनी उद्योग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत कतिपय इकाईयों को प्रतिपूर्ति का भुगतान किये जाने की संस्तुति की गई है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी, उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 के अन्तर्गत देय छूट/रियायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान सं.-24 में स्वीकृत रू.25.00 करोड़ (रूपया पच्चीस करोड़ मात्र) की धनराशि में से मुख्य सचिव उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित "उच्च स्तरीय समिति" की दिनांक 26.9.2019 को हुई बैठक में 05 कम्पनियों/ इकाइयों यथा-मै. कुम्भी चीनी मिल लि. कुम्भी, जिला लखीमपुर खीरी को 05 प्रतिशत उपादान की प्रतिपूर्ति के मद में रू.61,26,988.00, मै. धामपुर शुगर मिल्स लि. रजपुरा जिला सम्भल को 05 प्रतिशत उपादान की प्रतिपूर्ति के मद में रू.1,25,76,122.00, मै. एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज लि. जिला पीलीभीत को 05 प्रतिशत उपादान की प्रतिपूर्ति के मद में रू.50,58,903.00, मै. गोविन्द शुगर मिल्स लि. ऐरा, जिला लखीमपुर खीरी को 05 प्रतिशत उपादान की प्रतिपूर्ति के मद में रू.2,95,68,757.00 तथा उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. इकाई मोहिउद्दीनपुर, जिला मेरठ को 05 प्रतिशत उपादान, 75 प्रतिशत समिति कमीशन एवं शीरे पर भुगतान किये गये प्रशासनिक शुल्क की प्रतिपूर्ति के मद में रू.1,50,18,087.00 अर्थात् उक्त 05 चीनी मिलों को कुल अंकन रू.6,83,48,857.00 (रूपया छः करोड़ तिरासी लाख अड़तालिस हजार आठ सौ सत्तावन मात्र) के भुगतान की संस्तुति की गई है।

3. अतः मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित् "उच्च स्तरीय समिति" की दिनांक 26.09.2019 को हुई बैठक में की गयी संस्तुति के क्रम में उपरोक्तानुसार 05 कम्पनियों/ इकाइयों यथा- **मै. कुम्भी चीनी मिल लि. कुम्भी, जिला लखीमपुर खीरी को रू.61,26,988.00, मै. धामपुर शुगर मिल्स लि. रजपुरा जिला सम्भल को रू.1,25,76,122.00, मै. एल.एच. शुगर फैक्ट्रीज लि. जिला पीलीभीत को रू.50,58,903.00, मै. गोविन्द शुगर मिल्स लि. ऐरा, जिला लखीमपुर खीरी को रू.2,95,68,757.00, 05 प्रतिशत उपादान के मद में तथा उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. इकाई मोहिउद्दीनपुर, जिला मेरठ को रू.1,50,18,087.00, 05 प्रतिशत उपादान, 75 प्रतिशत समिति कमीशन एवं शीरे पर भुगतान किये गये प्रशासनिक शुल्क की प्रतिपूर्ति के मद में कुल अंकन रू.6,83,48,857.00 (रूपया छः करोड़ तिरासी लाख अड़तालिस हजार आठ सौ सत्तावन मात्र)** की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि रू.25.00 करोड़ में से प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि आप कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका के भाग-1 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार उक्त धनराशि को राजकोष से आहरित कर चीनी उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत देय उपरोक्त छूट/ रियायतों हेतु तत्काल उपलब्ध करायें।

3. उक्त धनराशि उसी कार्य के लिये व्यय की जायेगी जिस हेतु स्वीकृत की गयी है।

4. चीनी आयुक्त उक्त आहरण की सूचना उप महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर, संख्या, तिथि, लेखाशीर्षक सूचित करते हुए भेजेगें।

5. चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायें।

6. इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण-वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जायेगी। वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन तथा महालेखाकार को प्रेषित किया जायेगा।

7. वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ /लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसा भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

8. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की आय-व्ययक की अनुदान सं.-24 के लेखाशीर्षक -2852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 201-चीनी-08-चीनी उद्योग कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत देय छूट/ रियायतें-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं.-1/2019 बी-1-170 /दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में दिये गये निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-15/2019 /2468(1)/ 46-2-19-83/2016 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in